कानपुर नगर निगम

नगर निगम (मा0सदन) की दिनांक 15.09.2021

दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे

सम्पन्न हुई सदन की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम सदन सभागार,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/159/सचिव (न0नि0)/2021–22 दिनांक :– 16/9/2021

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री..........................

पार्षद वार्ड सं0........../पदेन सदस्य /नाम निर्दिष्ट सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 सदन की दिनांक 15.09.2021 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई, विशेष बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 62 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/09/21

सचिव
नगर निगम,कानपुर

नगर निगम, मोतीझील परिसर मुख्यालय स्थित सदन सभागार में दिनांक 15.09.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न हुई मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/अध्यक्ष
1.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
2.	श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद/सदस्य
3.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
4.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य
5.	कु0 मोहिनी कनौजिया	पार्षद/सदस्य
6.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
7.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	पार्षद/सदस्य
8.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद/सदस्य
9.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद/सदस्य
10.	श्री अजीत	पार्षद/सदस्य
11.	श्री मदन बाबू	पार्षद/सदस्य
12.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
13.	श्री सौरभ देव	पार्षद/सदस्य
14.	श्री राकेश कुमार	पार्षद/सदस्य
15.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
16.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद/सदस्य
17.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद/सदस्य
18.	श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद/सदस्य
19.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
20.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद/सदस्य
21.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
22.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद/सदस्य
23.	श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद/सदस्य
24.	श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद/सदस्य
25.	श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
26.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/सदस्य
27.	कु0 विधि राजपाल	पार्षद/सदस्य
28.	श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
29.	श्री अशोक पाल	पार्षद/सदस्य
30.	श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद/सदस्य
31.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद/सदस्य
32.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/सदस्य
33.	श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद/सदस्य
34.	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद/सदस्य
35.	श्री विजय कुमार	पार्षद/सदस्य
36.	श्री अर्पित यादव	पार्षद/सदस्य
37.	श्री दिनेश तिवारी	पार्षद/सदस्य
38.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य
39.	श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद/सदस्य
40.	श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
41.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य

42. श्री सुमित कुमार पाल — पार्षद/सदस्य
43. श्री अनिल वर्मा — पार्षद/सदस्य
44. श्री नूर आलम — पार्षद/सदस्य
45. श्रीमती सोनी सिंह — पार्षद/सदस्य
46. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय — पार्षद/सदस्य
47. श्री मो0 आमिर खान — पार्षद/सदस्य
48. श्री कमल शुक्ल 'बेबी' — पार्षद/सदस्य
49. श्री सौरभ तिवारी — पार्षद/सदस्य
50. श्री दुर्गा प्रसाद — पार्षद/सदस्य
51. श्रीमती सीमा सचान — पार्षद/सदस्य
52. श्रीमती यशोदा देवी — पार्षद/सदस्य
53. श्रीमती दीपा — पार्षद/सदस्य
54. श्रीमती शकुन्तला देवी — पार्षद/सदस्य
55. श्री अरविन्द यादव — पार्षद/सदस्य
56. श्री लियाकत अली — पार्षद/सदस्य
57. श्री जय प्रकाश पाल — पार्षद/सदस्य
58. श्रीमती शाहिबा परवीन — पार्षद/सदस्य
59. श्री मनोज कुमार पाण्डेय — पार्षद/सदस्य
60. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा — पार्षद/सदस्य
61. श्री यशपाल सिंह — पार्षद/सदस्य
62. श्री विकास जायसवाल — पार्षद/सदस्य
63. श्री हरि शंकर गुप्ता — पार्षद/सदस्य
64. श्रीमती शशी साहू — पार्षद/सदस्य
65. श्री सन्तोष साहू — पार्षद/सदस्य
66. श्रीमती सुमन त्रिवेदी — पार्षद/सदस्य
67. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर — पार्षद/सदस्य
68. श्री अनूप कुमार शुक्ला — पार्षद/सदस्य
69. श्रीमती सायमा परवीन — पार्षद/सदस्य
70. श्री गुरू नारायण गुप्ता — पार्षद/सदस्य
71. श्री प्रमोद जायसवाल — पार्षद/सदस्य
72. श्री आमोद त्रिपाठी — पार्षद/सदस्य
73. श्री प्रशान्त शुक्ला — पार्षद/सदस्य
74. श्रीमती जरीना खातून — पार्षद/सदस्य
75. श्री मो0 अमीम — पार्षद/सदस्य
76. श्री दीपक शर्मा — पार्षद/सदस्य
77. श्री योगेन्द्र सिंह — पार्षद/सदस्य
78. श्री अभिषेक गुप्ता — पार्षद/सदस्य
79. श्री मन्नू रहमान — पार्षद/सदस्य
80. श्री शिवम दीक्षित — पार्षद/सदस्य
81. श्री राशिद महमूद — पार्षद/सदस्य
82. श्री हाजी सुहेल अहमद — पार्षद/सदस्य
83. श्रीमती शबनम बानों — पार्षद/सदस्य

<u>नामित सदस्य</u>

1. श्री सत्येन्द्र मिश्रा
2. श्रीमती शोभा श्रीवास्तव
3. श्री विजय ओमर
4. श्री सरदार मंजीत सिंह
5. श्री शिव शंकर सैनी

6. श्री सुनील वाल्मीकि
7. श्री अतुल शुक्ला
8. श्री संदीपन अवस्थी
9. श्री प्रवीण सचान

अधिकारीगण

1. श्री शिवशरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त
2. श्री भानु प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त
3. श्री अरविन्द कुमार राय, अपर नगर आयुक्त
4. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता,
5. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. डॉ0 अजय संख्वार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. श्री स्वर्ण सिंह, उप नगर आयुक्त/प्रभारी विज्ञापन
8. श्री राधे श्याम पटेल, सचिव नगर निगम

वन्दे मातरम गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

तद्नुसार नगर आयुक्त ने जन सम्पर्क अधिकारी को कार्यसूची से सदन के सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिये।

तद्नुपालन में जन सम्पर्क एवं सूचनाधिकारी ने एजेण्डा के बिन्दु संख्या–1 में अंकित ''विज्ञापन नियमावली'' से सदन के सदस्यों को निम्नवत अवगत कराया :–

प्रस्ताव संख्या–120

सदन की दिनांक 18.11.2020 तथा दिनांक 21.12.2020 को पुनः स्थगित बैठक जो दिनांक 23.12.2020 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या–88 जो मा0 सदन में अध्यक्ष महोदया ने पार्षदो की सहभागिता के साथ समिति बनाकर सुझाव प्राप्त करते हुए तद्नुसार मा0सदन को विचारार्थ हेतु अग्रसारित है :–

नगर निगम कानपुर

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48)में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु अधिनयम की धारा–542के अन्तर्गत प्रस्तावित **'कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'** का निम्नानुसार पाण्डुलिपि तैयार करमा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

'कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्तिशुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1– (1) यह उपविधि **कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'** कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम कानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2– (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(1) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है,

(2) **"विज्ञापन"**(advertisement) से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना(model), चिन्ह विज्ञापन फलक (placard board), नोटिस, युक्ति(device) अथवा प्रतिरुप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा(announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती(hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढाँचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों,

(2) **"विज्ञापनकर्ता"** का तात्पर्य ऐसी फर्म, एजेन्सी, संस्था, कम्पनी, (पंजीकृत/अपंजीकृत) संगठन से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, फ्लैक्स, डिजिटल/विद्युत पट्ट अथवा उपकरण परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित

करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है,

(3) **"विज्ञापन प्रतीक"** का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(4) **"आकाष चिन्ह"** से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरुप, जो विज्ञापन घोषणा या निर्देश के रुप में हो और जो किसी भवन या ढाँचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदण्ड, चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो,

(5) **"गुब्बारा"** का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(6) **"पताका" (बैनर)** का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(7) **"पताका विज्ञापन"** का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो,

(8) **"समिति"** का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है,

(9) **"निगम"** का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(10) **"विद्युतीय प्रतीक"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(11) **"गैन्ट्री विज्ञापन"** का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है,

(12) **"भू–विज्ञापन"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,

(13) **"प्रदीप्त प्रतीक"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,

(14) **"शामियाना विज्ञापन"** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो,

(15) **"प्रक्षेपित प्रतीक"** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(16) **"मार्ग अधिकार"** का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(17) **"छत विज्ञापन"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है,

(18) **"अनुसूची"** का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है,

(19) **"बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन"** का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है,

(20) **"पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन"** का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात् फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाये जाने से है,

(21) **"जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,

(22) **"ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन"** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,

(23) **"प्रतीक संरचना"** का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो,

(24) **"अस्थायी विज्ञापन"** का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के

प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(25) " **अनुज्ञा शुल्क** " का तात्पर्य अधिनियम की धारा–452 में निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है,

(26) "**ट्री गार्ड विज्ञापन**" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,

(27) "**बरांडा प्रतीक**" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है,

(28) "**दीवार प्रतीक**" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(29) "**डिजीटल स्क्रीन**" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट से है जिससे कि डिजिटल तकनीक अथवा विद्युत उपकरण के माध्यम से फ्लैक्स, के माध्यम से एक से एकाधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकते हों,

(30) "**मैदान**" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि, पार्क अथवा खेल के मैदान आदि से है।

(31) "**प्रीमियम**" का तात्पर्य निविदा में किसी स्थल पर विज्ञापन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित धनराशि से है।

(32) *"प्रचार वाहन/ बस पर विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन हेतु प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट वाहन (जैसे– एल०ई०डी० वैन, ई–रिक्शा, आटों रिक्शा) एवं अन्य मोटर चलित वाहन।*

(33) *"सांकेतिक पट"का तात्पर्य सार्वजनिक स्थलों या निजी भूमि पर लगे ऐसे विज्ञापन जिनसे किसी विशिष्ट स्थल/संस्था या फिर किसी दिशाका संकेत होता हो*

(34) *"सिनेमा विज्ञापन" का तात्पर्य सिनेमा में स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित है। (चलचित्र विज्ञापन)*

(35) *"अभिनव विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस जो आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्रारूप में परिभाषित नही है और जो प्रतिषेध में से नही है। को अभिनव विज्ञापन के रूप में विचार किया जायेगा।*

(36) *"सड़क यातायात चिन्ह" का तात्पर्य ऐसा कोई सड़क यातायात चिन्ह और यातायात संकेतक जो भारतीय सड़क प्राधिकरण या*

किसी ऐसे लागू अधिनियम/नियम में अनुध्यात है।

(37) इलेक्ट्रानिक दृश्य प्रदर्शन का तात्पर्य ऐसे अनौपचारिक रूप से एक स्क्रीन, एक स्थायी रिकार्ड बनाने के बिना, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रसारित छवियो, पाठ या वीडियो की प्रस्तुति के लिए एक प्रदर्शन उपकरण है से है जिसमे टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर मानिटर और डिजिटल साइनेज शामिल है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

स्थल चयन के लिये समिति का गठन

3— (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त अथवा भार साधक अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके प्रकार,आकार, ऊँचाई, दिशा और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए कानपुर नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा,

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे–

(1)	नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त,	अध्यक्ष
(2)	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम ,	सदस्य
(3)	सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
(4)	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,(जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(5)	अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि,(जहाँ स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(6)	नगर का यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य

(7)	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम,(जहाँ स्थल बस शेल्टर के आवंटन के सम्बन्ध में हो)	सदस्य
(8)	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो,	सदस्य
(9)	कार्यालय स्मार्ट सिटी द्वारा नामित उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(11)	प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)	सचिव/सदस्य
(12)	मा० महापौर द्वारा नामित 02 सदस्य	सदस्य

(3) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जाएगी। नगर निगम सीमान्तर्गत चयनित स्थलों की सूची को समिति के सदस्यों के समक्ष उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सदस्यों द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव दिया जाना आवश्यक होगा,*अन्यथा की दशा में*स्थल चयन की कार्यवाही निस्तारित कर दी जायेगी। *यदि किसी चयनित स्थल पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो चयनित स्थल को समाप्तकरने/प्रकार परिवर्तित करने की शक्ति नगर आयुक्त में निहित होगी। सदस्य सचिव द्वारा नगर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त सदस्यों को स्थल की सूची प्रेषित की जाएगी। जब भी किसी नवीन स्थलों का चयन किया जायेगा, पुनः यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।*

(4) उपरोक्त समिति द्वारा चिन्हित स्थल पर ही विज्ञापन किया जायेगा।

प्रतिषेध 4— (1) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्तया नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक भूमि, भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा, सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, न चिपकाने, न लिखने, न चित्रित करने या न लटकाने देगा और न सुनवाने देगा यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो या यातायात में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करे।

(4) राष्ट्रीय/राज्य संग्रहालयो, नेशनल पार्क, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलो पर विज्ञापनपट न तो परिनिर्मित करा जायेगा न प्रदर्शित करा जायेगा, न संप्रदर्शित करा जायेगा, न चिपकाया जायेगा, न लगाया जायेगा, न लिखा जायेगा, न चित्रित किया जायेगा या न लटकाया जायेगा ।

(5) *<u>ऐसा कोई विज्ञापनकर्ता या संस्था जिस पर नगर निगम/जल संस्थान/कानपुर स्मार्ट सिटी का कोई अवशेष देय हो।</u>*
बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

(6) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलो/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे विज्ञापन कानपुर नगर निगम द्वारा *<u>अनुमोदित</u>*स्थलों पर ही किया जायेगा।

(7) *<u>कोई भी विज्ञापन का कार्य भारत सरकार एंव राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत नही किया जायेगा।</u>*

विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

5– (1) कानपुर नगर निगम मे पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होंगी।*<u>अगले वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च के पूर्व ही पूर्ण करना अनिवार्य होगा जो नवीन वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से प्रभावी होगी।</u>*

(2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी कों पंजीकरण हेतु रु 50,000/–(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रु0. 2,00,000/–(दो लाख) धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(3) *<u>पंजीकरण</u>*अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन *<u>अनुसूची–2</u>*में विनिर्दिष्ट विहित *<u>प्रपत्र–1</u>* में किया जायेगा, जिसे रु0 *<u>1000/–</u>* भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) *<u>पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।</u>*

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया 6– (1) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम सें *प्रत्येक स्थल/स्थल समूहों हेतु*आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल*/स्थल समूह*के सम्बन्ध मे नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम *धनराशिविनिर्दिष्ट किया जाएगा।*

(क) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन *हेतु*अनुसूची–*दो*में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा जिसे रु. 1000/–*या स्थल समूहों की स्थिति में प्रति ईकाई 1000/–*का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

*(ख)*मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(ग) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो लेखाधिकारी नगर निगम के पक्ष में देय हो संलग्न करनी होगी। शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा *(जो कि निर्धारित नक्शे के प्रारूप– 'क' के अनुरूप हो)*सहित निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी जो नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को *स्थल चयन* समिति द्वारा तय किया जायेगा।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त *निजी भवन/भूमियों*छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों,

निजी भवन एवं भूमियों पर अनुज्ञा प्राप्त करने की 6– *(क)* यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना,

प्रक्रिया

चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(ख) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ग) मान्यता प्राप्त संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट,

(घ) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र(भू/भवन स्वामी होने के पुष्टिकृत अभिलेख के साथ),आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित *मान्यता प्राप्त*संरचना अभियन्ता की माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005" के "संरचना अभिकल्प, धारा–1 भार बल और प्रभाव" के भाग–4 के अनुसार होगा।

(ङ) मानचित्र स्वीकृत करने वाली सक्षम संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(1) उपनियम *6 (क)*में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचनपत्र देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति मे वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा। भुगतान न होने की स्थित में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के *प्रावधानों* के अन्तर्गत बकाया धनराशि *की वसूली*भू–राजस्व की भॉति/गृहकर में जोड़ कर की जायेगी।नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के *अनुसूची–3 के तहत*अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(3) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(4) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम का 25 प्रतिशत की धनराशि संलग्न करनी होगी।

अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते 7

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेण्टिग, पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना पूर्णतयाः प्रतिबन्धित होगा, यह कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो,

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 20 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 50 मीटर से कम नही होगी,

(ग) विज्ञापन/विज्ञापनपट चौराहे से 50 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा,

(घ) विज्ञापनकर्ता द्वारा विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा,

(ङ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से *तत्काल प्रभाव से* हटा देगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे,

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा,

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि और अन्य *राजकीय* विधियों का पालन करना होगा,

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,

(ड) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण नियम **24 एवं 25के अधीन होगे।**

(ढ) समस्त विज्ञापन नियम *16* "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएं" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे,

(ण) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड–पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा,

(त) नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापनकर्ताओं द्वारा समस्त विज्ञापनपटों पर नगर निगम कानपुर द्वारा दिये गये प्रारुप के अनुसार फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर, विज्ञापनपट अनुज्ञा संख्या, अनुज्ञा अवधि, मोबाइल नम्बर आदि अंकित करना अनिवार्य होगा।

(थ) नगर निगम सीमान्तर्गत भारतीय रेलवे, मेट्रो रेलवे लाइन एवं बस अड्डा की बाउण्ड्री अथवा पिलर *अथवा अन्य सम्पत्ति*पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की दशा में नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पश्चात् निर्धारित अनुज्ञा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल *प्रभावसे स्वतः*समाप्त हो जायेगा –

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के बिना किया जाता है,

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या,

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

अनुज्ञा शुल्क 8 *अनुसूची–1 के अनुसार प्रत्येक स्थल के लिये अनुज्ञा शुल्क की धनराशि नियत की जायेगी।*

आवंटन समिति 9 (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समितिगठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक)	नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	सदस्य
(दो)	निगम का मुख्य अभियन्ता या नगर आयुक्त द्वारा *नामित अधिशाषी अभियन्ता*	सदस्य
(तीन)	*मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा नामित लेखाधिकारी*	सदस्य
(चार)	*प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो*	सदस्य–सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) *नियम 27 के अधीन अनुसूची–1 में निर्धारित* अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम का उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं *उसके स्थान पर द्वितीय निविदा दाता को अगर इच्छुक हो तो उसे उच्चतम बोली की धनराशि पर सहमत की दशा में प्राथमिकता दी जायेगी।*

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएंगी।

(7) *विज्ञापन यथा–होर्डिंग, (भू विज्ञापन एवं छत विज्ञापन)*यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री जनसुविधा पर विज्ञापन, *ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड, बरामदा विज्ञापन, डिजिटल स्क्रीन या अन्य कोई विज्ञापन प्रतीत आकाश चिन्ह, गुब्बारा, पताका बैनर विद्युतीय प्रतीक* इत्यादि के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी। *ट्री गार्ड फ्लावर पार्ट, ग्रीन बेल्ट परविज्ञापन की आवंटन अनुसूची–3 में विहित रीति के अनुसार से की जायेगी।*

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो *अनुसूची–1* में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, उपविधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा *अनुसूची–1* में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क/उच्चतम् प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

अनुज्ञा की अस्वीकृति के आधार

10 नियम 6 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि:–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो, वह इस उपविधि के अनुरूप न हो या *आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में कोई प्रविष्टि खाली छोड़ दी गयी हो*

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ग) विज्ञापन एजेन्सी/संस्था का पूर्व में नगर निगम / *स्मार्ट सिटी/जलकल*में कोई पावना शेष हो,

(घ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।

(ङ) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त/समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:–

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।,

(च) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की जायेगी तथा विज्ञापनकर्ता से वसूली गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये

अनुज्ञा प्रदान करने की रीति 11 किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगाः—

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(तीन) *निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवींनीकरण पर विचार किया जायेगा एवं अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा जो पूर्व वर्ष के दर से कम से कम 10 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।*

(चार) *विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन—पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष/अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के 01 सप्ताह के पूर्व प्राप्त विज्ञाप्त आवेदनों पर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा, यदि नीलामी/निविदा के माध्यम सेअनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।*

अनुज्ञा की अवधि 12 अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। *अनुज्ञा,अनुज्ञाके दिनांक से अधिकतम दो वित्तीय वर्ष के लिये देय होगी।*

विज्ञापन पर निर्बन्धन 13 (1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं

किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि,

(एक) यह आकार में 12.4 मीटर x 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 20 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारो ओर अवस्थित हो

(सात) यह स्थल नियम <u>27</u>के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(आठ) यह जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी–पानी (बरसात) में अथवा अन्य प्रकार से गिरने की सम्भावना हो।

(नौ) यह तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो,

(दस) यह प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(ग्यारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(बारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में बाधा या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(तेरह) यह प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो

(चौदह) यह विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो

(2) **विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :**

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातातात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) समस्त प्रमुख चौराहों/तिराहों से 50 मीटर के भीतर, *(ट्रैफिक आइलैण्ड, जनसुविधाओं पुलिस बूथ को छोड़कर)*

(तीन) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो

(चार) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(पाँच) स्थानीय सुविधायें प्रभावित नही की जायेगी

(3) (एक) सार्वजनिक भवनों, दिशा–सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा,

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके,

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस/ *कटीले पौधे*वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे,

(पाँच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :

(एक) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या वाहन चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

छत के उपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन 14

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य हैं।

(2) *नियम–6 (क)* और नियम–13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व *चौड़ाई 12.4*मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन पटों के प्रकार 15 विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे:—

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत डिजिटल विज्ञापन*/एल.ई.डी. स्क्रीन (किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नही होगी।)*

(ख) भू–विज्ञापन/यूनीपोल/कैन्टीलीवर/गैन्ट्री विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(ड़) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) शामियाना विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

(ञ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ट) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ड) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन

(ढ) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्प्ले

(ण) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन

(त) फुट ओवर ब्रिज

(थ) प्रचार वाहन/ बस पर विज्ञापन

(द) सांकेतिक पट

(ध) सिनेमा विज्ञापन

(न) अभिनव विज्ञापन

(प) सड़क यातायात चिन्ह

(फ) इलेक्ट्रानिक दृश्य प्रदर्शन

(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन

क–1 **वैद्युत विज्ञापन की सामग्री** : जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन** :

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग–8 भवन सेवायें धारा 2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापन के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

क–5 **गहन प्रदीप्ति** : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

क–6 **परिचालन अवधिः**– नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई

वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

क–7 **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला:** कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) भू–विज्ञापन

ख–1 **सामग्री** : ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख–2 **आयाम** : कोई भी भू–विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

ख–3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान** : प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **स्थल सफाई** : किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **यातायात में अवरोध** : ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 **तल निर्बाधन** : सभी भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन

ग–1 **सामग्री** : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

ग–2 **अवस्थितिः**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **क्षेपण (प्रोजेक्शन)** : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–4 **अवलम्ब और स्थिरक** : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।*जिसहेतु संरचना अभियन्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।*

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम *16* 'समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' के अनुरूप होंगे।

ग–7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/*अन्य कोई ऐसी संस्था जो नगर निगम सीमा में मानचित्र स्वीकृत हेतु अधिकृत हो*से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा विज्ञापन

घ–1 **सामग्री** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम *16* के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **आयाम** : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **संरेखण** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ–4 **स्थान**– बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा–

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

घ–5 **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई**:– किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़ंजा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

घ–6 **प्रक्षेपण** : घ–4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ङ) दीवार विज्ञापन (प्रतिबन्धित)

नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार **विज्ञापन** के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं

च–1 **सामग्री** : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 **प्रक्षेपण एवं ऊँचाई** : कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के समकोण (Right Angle)पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं

होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

च–3 **अवलम्ब एवं संलग्नक :** प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 **अतिरिक्त भार :** ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

(छ:) शामियाना विज्ञापन पट्टिका

छ–1 **सामग्री :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

छ–2 **ऊँचाई :** ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 **लम्बाई :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका

ज– **आकाश विज्ञापन पट्टिका :** आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न

हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिका

झ **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ** : सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार** :झ–2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगीः–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के *अनुज्ञप्ति* प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए सम्भावित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता** :

(एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट संरचना अभियन्ता/ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नगर आयुक्त की स्वीकृति के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, तत्काल हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सक्षम होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका/झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं** : *पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों। किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम तत्काल हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।*

(पाँच) **अधिकतम आकार** : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) **प्रक्षेपण** : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढेंगीं सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हं पट्टिकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति** : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़ जाये, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

सभी विज्ञापन–पटों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षाएँ

16 (1) **भारः** विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्ति :** कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग–8 भवन सेवाएं खण्ड–2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :**

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएँ लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ड) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रेल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(छ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) **दहनशील पदार्थो का प्रयोग :**

(एक) **सजावटी विशिष्टता** :ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक** : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :**

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन** : अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके। इसको प्रदर्शित किए जाने का प्रारूप वही होगा जो समय–समय पर नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।

(7) सभी विज्ञापनकर्ताओं को *विज्ञापन ढ़ाचा का*तृतीय पक्ष*(थर्ड पार्टी)*बीमा कराना अनिवार्य होगा।

दुकानों पर विज्ञापन 17 किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण व चित्र आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के

रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोडकर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

18 सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोडकर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) **मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–**

(एक) **अभिकल्पः**विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में **विज्ञापन** फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापनः–अभिकल्पः** बस सायबानो (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक **की** लम्बाई को छोडते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान **पर** विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय–समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन** :–*नियम–13(2)*में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने **को** सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़कः** नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/ पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ** : नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प **के** लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने

और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मी. गुणे 0.75 मी. होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी. होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)** : नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री–गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)** : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजको की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

छूट

19– (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगीः–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो तथा किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।यह छूट ऐसे साकेतिक पटों के लिये अनुमन्य नही होगी, जिसमें किसी संस्था का विज्ञापन हो रहा हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो एवं सार्वजनिक रुप से सड़क से दर्शित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19के उप नियम (2) (3)व (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट** : किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट** : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) **नाम पट्ट** : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।

(3) **अस्थाई विज्ञापन पट्ट** :

(एक) **निर्माण स्थल संकेत** : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेत** : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले **विशेष** सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम–15 झ(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए)

विशेष विज्ञापन **20**

(1) यदि *नियम–27 एवं अनुसूची–1* (जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है) द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तो पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विशेष नियंत्रण क्षेत्र **21**

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा "ज्वैलर्स" "कैफे" "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन 22 उपविधि में अन्य बातों के प्रतिकूल न होते हुए यदि भविष्य में विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो नगर निगम की स्वीकृति के उपरान्त नगर आयुक्त उक्त में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगें।

झण्डियों पर रोक 23

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृ या विनष्ट कर सकता है।

अनुरक्षण और निरीक्षण 24

(1) **अनुरक्षण** : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था** : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) **निरीक्षण** : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण *प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)/नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी कभी भी कर सकता है।*

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति 25 नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

भुगतान की रीति **26** (1) सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कुल धनराशि एकल किश्त में अथवा दो किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान दो किश्तों में करना होगा यथा–प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई *विज्ञापनपटछः* माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क *अनुसूची–1* में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन *हेतु विज्ञापनपट*को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरें *अनुसूची–1* में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होंगी।

क्षेत्रों का वर्गीकरण **27–** विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा, *जिसका पुर्न निर्धारण अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।*

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(पाँच) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) **निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :**

- न्यायालय परिसर, सरकारी भवन, समस्त पुल, समस्त धार्मिक स्थल, समस्त ऐतिहासिक भवन एवं समिति द्वारा निर्धारित **निषिद्ध**

नगर आयुक्त वी.वी.आई.पी. मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत होंगे।

(दो) **प्रवर श्रेणी क्षेत्र :**

- मरे कम्पनी पुल से मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग, आदर्श व्यायामशाला से कचहरी चौराहा, एस0पी0 ऑफिस , एम0जी0कालेज सिविल लाइन्स होते हुये लाल इमली तक। लाल इमली से मर्चेण्ट चैम्बर तक। आर्यनगर, तिलकनगर, स्वरुपनगर। अशोक नगर, 80 फिट रोड, पी0 रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर चौराहा, नेहरु नगर आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
- मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा, बड़ा चौराहा से परेड होते हुये लाल इमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डी से बेनाझाबर तिराहा से मोतीझील शिवाजी द्वार, मेडिकल चौराहा से रावतपुर स्टेशन तक, रावतपुर स्टेशन तिराहा से कम्पनी बाग चौराहा तक एवं कम्पनी बाग चौराहा से रानीघाट चौराहा से रेव थ्री चौराहा से टैफ्को चौराहा से मर्चेण्ट चैम्बर तिराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से डी0ए0वी0 कॉलेज तिराहा से गोरा कब्रिस्तान से सरसैय्या घाट चौराहा से महफिल रेस्टोरेन्ट होते हुये मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।
- रावतपुर रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर होते हुये आई0आई0टी0 तक।
- नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से मरियमपुर हास्पीटल चौराहा होते हुये विजय नगर चौराहा तक। नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से देवकी चौराहा होते हुये छपेड़ा पुलिया तक।
- गोल चौराहा नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से कोकाकोला चौराहा से गुमटी नं0–5 से जरीब चौकी चौराहा से अफीम कोठी चौराहा से झकरकटी बस स्टेशन से टाटमिल चौराहा (चारों ओर 100 मी0 परिधि के अन्दर) से पी0ए0सी0 मोड़ होते हुए रामादेवी चौराहा तक तथा रामादेवी चौराहा से जाजमऊ मुख्य मार्ग (पुरानी चुंगी तक)।
- मरियमपुर हास्पीटल चौराहा से कबाड़ी मार्केट चौराहा से फजलगंज चौराहा होते हुए बैंक आफ बड़ौदा चौराहा से गोविन्दपुरी पुल से चावला मार्केट से नन्दलाल चौराहा से दीप टाकीज से बर्रा बाईपास तक।
- गोविन्द नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- रेव मोती से देवकी चौराहा होते हुये डबल पुलिया तक।
- गुमटी नं0–9 से नमक फैक्ट्री चौराहे तक।
- विजय नगर से डबल पुलिया शनैश्वर मन्दिर चौराहा होते हुये प्रेसीडेन्ट होटल आवास विकास कल्याणपुर तक।
- कल्यानपुर क्रॉसिंग से अरमापुर नहर तक।
- विजय नगर चौराहा से दादानगर चौराहा होते हुये सी0टी0आई0 चौराहा से शास्त्री चौक तक।
- एम0आई0जी0 तिराहा से पनकी बी ब्लाक क्रॉसिंग सब्जी मण्डी तक।

(तीन) **'अ' श्रेणी क्षेत्र :**

- एक्सप्रेस वे से घण्टाघर चौराहा से टाटमिल चौराहा (चारो ओर 100 मी0 परिधि छोड़कर) बॉकरगंज चौराहा से किदवई नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर बाईपास तक।

- मन्जुश्री सिनेमा हॉल घण्टाघर से चाचा नेहरु अस्पताल होते हुये डिप्टी पड़ाव चौराहा से सीसामऊ थाना तक।
- अशोक नगर, 80 फिट रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर चौराहा, नेहरु नगर, आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
- अफीम कोठी चौराहा से बारादेवी चौराहा होते हुये गौशाला चौराहा से नौबस्ता चौराका तक, नौबस्ता चौराहा से दासू कुआँ से आवास विकास हंसपुरम् कालोनी से गल्लामण्डी से कानपुर नगर सीमा तक।
- रामादेवी से रुमा तक कानपुर नगर निगम सीमा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।
- रामादेवी से यशोदानगर बाईपास मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।
- श्यामनगर, देहली सुजानपुर, कर्रही, नौबस्ता, जरौली, लालबंगला, तिवारीपुर, जाजमऊ, गाँधीग्राम, कृष्णानगर, किदवई नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- जाजमऊ नई चुँगी चौराहे से पुरानी चुँगी तक(वी0आई0पी0 रोड)
- किदवई नगर चौराहा से साइट नं0–1 चौराहा से बारादेवी चौराहा तक एवं गोबिन्द नगर जाने वाले मार्ग पर।
- बाबा कुटी साउथ एक्स मॉल से साइट नं0–1 चौराहा तक। ,
- किदवई नगर एच ब्लाक तिराहा से संजय वन होते हुए सोटे वाले हनुमान मन्दिर से गौशाला चौराहे से थाना किदवई नगर से दीप टाकीज तिराहा तक।,
- हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से कोकाकोला चौराहे तक।
- गुमटी नं0–5 रेलवे क्रासिंग से सन्त नगर चौराहा होते हुये कालपी रोड तक।
- जरीब चौकी रेलवे क्रासिंग से फजलगंज चौराहा से विजय नगर चौराहा से अर्मापुर इस्टेट से नहरिया होते हुए भाटिया तिराहे से भौंती बाईपास तक।
- भाटिया तिराहे से पनकी हनुमान मन्दिर चौराहा तक।
- दादानगर व पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया सम्पूर्ण क्षेत्र।
- जूही परमपुरवा सम्पूर्ण क्षेत्र।
- सचान गेस्ट हाउस चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा से रतनलाल नगर होते हुए दबौली, गुजैनी, बाईपास तक के समस्त क्षेत्र।
- गुरुदेव से चिड़ियाघर होते हुये बैराज तक।
- कल्यानपुर इन्द्रानगर मोड़ से सी0एन0जी0 पेट्रोल पम्प होते हुये चिड़ियाघर रोड तक।
- मनोरमा गेस्ट हाउस (विकास नगर) से रामा मेडिकल कालेज तक।
- नीरक्षीर चौराहे से तुलसी नगर तक तथा काकादेव के आन्तरिक मार्ग सम्पूर्ण क्षेत्र।
- मसवानपुर चौराहे से पनकी कल्यानपुर रोड तक।
- मरियमपुर हास्पीटल चौराहे से कोकाकोला चौराहे तक।

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र :

- अहिरवाँ, सनिगवाँ, कोयलानगर, पोखरपुर, हंसपुरम् वॉटर पार्क के आसपास।
- नया शिवली रोड, बारा सिरोही नहर तक।
- अवधपुरी मोड़ से सेल टैक्स रोड तक।
- कम्पनीबाग चौराहे से रामचन्द्र चौराहे से बैराज तक।
- कम्पनीबाग चौराहे से डाकघर चौराहा एल0आई0सी0 चौराहा होते हुये वी0एस0एस0डी0 कालेज होते हुये बैराज रोड तक।
- चिड़ियाघर चौराहे से एच0बी0टी0यू0 गेट तक।
- बिठूर मोड़ से डी0पी0एस0 स्कूल तक।
- बम्बा रोड कल्यानपुर।
- गीतानगर क्रॉसिंग से हरी गर्ल्स हॉस्टल तक।
- दलहन क्रॉसिंग से मसवानपुर चौराहे तक।
- बगिया क्रॉसिंग से केस्को चौराहे तक।
- एलिम्को से नानकारी तक।
- ननकारी जाने वाले जी0टी0रोड क्रासिंग से चन्देल गेट व प्रधान गेट तक।
- चिड़ियाघर चौराहे से मैनावती रोड पर जैन इन्टरनेशनल स्कूल तक।
- शास्त्रीनगर सेन्ट्रल पार्क के आस–पास का परिक्षेत्र।
- मसवानपुर चौराहे से मसवानपुर होते हुये सराय चौराहा तक।
- आवास विकास यूको पार्क के आस–पास का परिक्षेत्र।
- गोवा गार्डन क्रॉसिंग से माधवपुरम् होते हुये आई0आई0टी0 दक्षिणी गेट तक।
- बुद्धा पार्क (इन्द्रानगर) के आस–पास का परिक्षेत्र।

(पाँच) 'स' श्रेणी क्षेत्र :

उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत उल्लिखित मार्गों के अतिरिक्त (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

स्क्रैप की नीलामी	31	नगर निगम सीमा में अवैध रुप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रेप व कबाड़ को अधिनियम की धारा–521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा	32	निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें।

अनुसूची–1

(नियम *8* देखे)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .... भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–
   - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 3200/– (तीन हजार दो सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2400/– (दो हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/– (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 1600/– (एक हजार छः सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
2. एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट–
   - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000/– (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000/– (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/– (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/– (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. विद्युत पोल/ट्री–गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट–
   - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000/– (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000/– (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/– (तीन हजार पॉच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
   - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000/– (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

हटाये जाने की लागत

28 *नियम 13* के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

(क)	6.1 X 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट	रु. 10,000/– प्रति
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट	रु. 15,000/– प्रति
(ग)	किसीदीवार/किसी सतह पर वॉल पेन्टिग विज्ञापन साफ करना	रु. 5,000/– प्रति
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को	रु. 30,000/– प्रति

अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन

29 (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु. 10,000/–(दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु. 500/– (*पाँच*सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

विवाद का निस्तारण

30 (1) पक्षकारों के मध्य (नगर निगम व विज्ञापनकर्ता) कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण महापौर महोदय/महोदया द्वारा अथवा महापौर महोदय/महोदयाद्वारा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति के समक्ष कोई भी पक्षकार विवाद प्रेषित कर सकता है। दोनों पक्षकारों को सम्यक सुनवायी का अवसर देने के उपरान्त महापौर महोदय/महोदयाअथवा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति विचार कर निर्णय देगी। यह निर्णय अन्तिम होगा।

(2) महापौर महोदय/महोदया, पक्षकारों की सहमति से प्रकरण पंचाट निर्णय के लिये भेज सकता है। पंचाट का निर्णय अन्तिम होगा। पंचाट की नियुक्ति महापौर महोदय/महोदयाद्वारा पक्षकारों की सहमति से की जायेगी। पंचाट निर्णय को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

14. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु. 200/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
15. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक–1 के अनुसार देय होगा।
16. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण का प्रमाण–पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।
17. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् *नगर आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त*प्रभावी होगी।
18. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
19. स्वीकृत विज्ञापनपट/यूनीपोल/गेन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिए जोनवार अलग–अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हाँकन करना अनिवार्य होगा।
20. नगर आयुक्त को किसी भी विज्ञापनपट को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अधिकृत करने का अधिकारी होगा और उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति देय न होगी।

स्पष्टीकरणः–

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।
2. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष उ०प्र० नगर निगम अधिनियम–1959 के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

प्रपत्र सं. ....

मूल्य रु. 1,000/–

निदेशक/ स्वामी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

अनुसूची–2

4. बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)/गैन्ट्री :–

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 6000/– (छः हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) अ श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000/– (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ब श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000/– (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) स श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000/– (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5. (1) एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरो पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) ट्यूबलाइट, एल.ई.डी. लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरो पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 की निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोडकर)

(एक) हल्का वाहन : रु. 10,000/– (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(दो) भारी वाहन : रु. 40,000/– (चालीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–

(एक) तीन पहिया : रु. 300/– (तीन सौ) प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रु. 1000/– (एक हजार) प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रु. 1500/– (एक हजार पाँच सौ) प्रति दिन

7. पर्चा (हैण्ड बिल) : रु. 2000/– (दो हजार) प्रति हजार

8 गुब्बारे : रु. 1000/– (एक हजार) प्रतिदिन

9. छतरी (कैनोपी) : रु. 500/– (पाँच सौ) प्रतिदिन

10. आटो रिक्शा थ्री–व्हीलर : रु. 2000/– (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो

11. बसों पर : रु. 5000/– (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

12. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में ***अनुसूची–1*** में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक–1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

13. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या–1 के अनुसार लिया जायेगा।

प्रारूप– 1

पंजीकरण आवेदन–पत्र

(देखिए उप–विधि 5(1)

नगर निगम, कानपुर

बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिये पंजीकरण

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित कम्पनी / फर्म / अभिकरण / स्वामी का नामः– ....

02. रजिस्टर्ड पता ....

03. टेलीफोन नम्बर .... व्यापार ....

फैक्स...ई–मेल पता ....

04. निदेशकों / स्वामियों / भागीदारों के ब्योरे ....

क्रम संख्या	फर्म का नाम	डी०आई०एन० नम्बर	मोबाइल नम्बर	ई–मेल पता
(1)				
(2)				

05. कम्पनी के समय ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद ....

06. पिछले 03 वर्षो के विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, ब्यौरे यदि उपलब्ध है,

07.अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण,

08. निदेशक या निदेशकों का किसी अन्य अधिकरण में किसी मामलें में दोषी न होने का शपथपत्र

09. पिछले 03 वर्षो की बैलेस शीट/अनुपब्धता की स्थित में उक्त आंशय का शपथपत्र।

10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए न किसी व्यक्तिक निदेशक बोर्ड(संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र,

11. कानपुर नगर निगम में पिछले 05 वर्षो में प्राप्त विज्ञापन अधिकारी/अनुमति के ब्यौरे,

12. शपथपत्र कानपुर नगर निगम में उसके विरूद्ध कोई भुगतान हेतु राशि लम्बित नही है,

13. संस्था की किस्म..

14. पैन नम्बर ....

15. जी०एस०टी० नम्बर ....

16. पंजीकरण राशि ....

17. क्याआवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले 03 वर्षो में किसी भी सरकारी संस्था ☐ नही ☐

द्वारा काली सूची में डाला गया है, (यदि हाँ तो विवरण लिखे)

18. क्याआवेदक फर्म/कम्पनी में कोई लम्बित बकाया है हाँ ☐ नही ☐

19. यदि हाँ कुल लम्बित राशि का विवरण दें ....

20. क्याआवेदक फर्म/कम्पनी में कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित है हाँ ☐ नही ☐

(यदि हाँ तो विवरण लिखे)

मैं/हम, कानपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन उपविधि 2021 हाँ ☐त ☐

निबन्धनों तथा शर्तो तथा मार्गदर्शनों का पालन करूगा।/करेगें।

उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध

में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामलें में रजिस्ट्रेशन रद्ध हो जायेगा।

(ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण के मामलें में, कृपया इस प्रारूप का प्रिटआउट ले तथा "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि केडिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

टिप्पणीः–

1. यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय–समय पर उपविधि के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अध्यधीन है। वेबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेंशा प्रयोग किया जाना है।

नोटः– सभी सूचना भरना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर

नाम..

पता–...

दूरभाष– ....

1. टिप्पणी– यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप –1 (क)

अनुमोदन प्रारूप

(देखिए उप–विधि 5)

दिनांक ....

संख्या..................................

सेवा में,

....

....

कानुपर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहरी विज्ञापनों के प्रदर्शन (ओ०एम०डी०) को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या .... दिनांक ....के सदर्भ में है।

श्रीमान जी,

यह बाहरी प्रदर्शन के ओ०एम०डी० को लगाने के लिए नगर निगम .... से रजिट्रेशन के बारे में आवेदन के संदर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और आपको यूनिक आई०डी० पहचान संख्या ....आवंटित की गई है। कृपया नगर निगम कानपुर में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम..की वेबसाइट पर आपके लेखे को सक्रिय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए।

2. आपकी नई स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है–

- अधूरा आवेदन।
- दी गई गलत सूचना।
- नगर निगम, स्मार्ट सिटी/जलकल विभाग नगर निगम में लम्बित देय।
- काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नही है।
- अन्य।

नगर आयुक्त

नगर निगम कानपुर

01. टिप्पणी– आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तो की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते है।
02. टिप्पणी– यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

फार्म संख्या–

आवेदन मूल्य– 1,000/– प्रति स्थल

प्रारूप–2

देखिये उपविधि 9,10

विज्ञापन हेतु आवेदन–पत्र

भाग–1

क्र० सं०

1. आवेदक या संस्था का नाम–

2. पता–

3. ई–मेल आई०डी०–

4. मोबाइल नम्बर–

5. पैन नम्बर–

6. जी०एस०टी० नम्बर–

7. कानपुर नगर निगम में पंजीकरण संख्या–

8. आवेदन/संस्था पर पूववर्ती बकाया की स्थित

9. संस्था की स्थिति में निर्देशकों/पार्टनरों का विवरण

10. प्रचार की विशिष्टता– पूर्ववर्ती वर्षों के अन्य संस्थाओं के साथ विशिष्ट विज्ञापन कार्य का विवरण एवं वर्तमान में नगर निगम के साथ कार्य हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्य योजना प्रथक से संलग्न करें।

11. स्थल का नजरी नक्शा(जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स के साथ)नगर निगम द्वारा चिन्हीकरण के अनुसार संलग्न करें

12. पूर्ववर्ती बकाया का विवरणः–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	बकाया धनराशि	बकाया का कारण स्पष्ट अकिंत करें।	अवशेष हेतु कोई प्रत्यावेदन कार्यालय स्तर पर लम्बित है साक्ष्य सहित संलग्न करें।

13. निजी भवन/भूमियों पर अनुज्ञा की स्थिति में

(1) सम्बन्धित भवन स्वामी की अनापत्ति प्रस्तुत करें।

(2) संरचना अभियन्ता का वांछित प्रमाण–पत्र

(3) स्थल की प्रस्तावित फोटोग्राफ

(4) स्थल का नजरी नक्शा (जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स के साथ)भवन स्वामी एवं आवेदक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित

मैं .... निवासी– .... द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' को पूर्ण रूप से समझते हुये उपविधि में दिये गये नियमों/उपनियमों, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम के द्वारा भविष्य में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम–

पता–

दूरभाष नम्बर–

ज्ञापन हेतु आवेदन–पत्र

(भाग–2)

क्र० सं०

1. आवेदक या संस्था का नाम–

2. पता–

3. ई–मेल आई०डी०–

4. मोबाइल नम्बर–

5. पैन नम्बर–

6. जी०एस०टी० नम्बर–

7. कानपुर नगर निगम में पंजीकरण संख्या–

8. नवीनीकरण/एकल विज्ञापन/विज्ञापन समूह का विवरण (नगर निगम सीमान्तर्गत भूमि या सम्पत्तियों का)

(क) नगर निगम के स्वमित्व वाले भूमि/सम्पत्तियो पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल(जी०पी०एस० कोआर्डिनेट्स के साथ)	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी०	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	न्यूनतम प्रीमियम (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि (विवरण सहित)

9. ख) निजी भवन एवं भूमियों पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	भवन संख्या/अध्यासी का नाम	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी०	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि (विवरण सहित)

10. धनराशि का विवरण संलग्न करें।

मैं .... निवासी– .... द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' को पूर्ण रूप से समझते हुये उपविधि में दिये गये नियमों/उपनियमों, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम के द्वारा भविष्य में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम–

पता–

दूरभाष नम्बर–

1. टिप्पणी– यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप– 2 (क)

(देखे उपविधि 10,11)

आवेदन का अनुमोदन–पत्र

संख्या .... दिनांक ....

सेवा में,

....

....

विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ०एम०डी० की स्थापना के/नवीनीकरण के लिए आपके आवेदन संख्या.......... दिनांक..............के संदर्भ मे है।

श्रीमान जी,

नगर निगम....................में आपकी कम्पनी/फर्म/अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ०एम०डी० की स्थापना/के नवीनीकरण के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:—

(क) नगर निगम के स्वमित्व वाले भूमि/सम्पत्तियो पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी० व बार कोड	अनुज्ञा अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	प्रीमियम (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि	अभियुक्ति

(ख) निजी भवन एवं भूमियों पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	भवन संख्या/अध्यासी का नाम	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी०व बार कोड	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि	अभियुक्ति

1. उपरोक्त सूची के अनुसार बाहरी मीडिया के निर्माण/प्रदर्शन के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है। आपको, इसके द्वारा इस पत्र के जारी होने के सात दिन के भीतर ....रूपये की अनुज्ञा शुल्क प्रीमीयम सहित जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।

2. नई ओ०एम०डी० के लिए आंवटित एकमात्र आई०डी०.............................. है। नये मीडिया/नवीनीकरण के लिए आपकाआवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार है:–

- अधूरा आवेदन।
- दी गई गलत सूचना।
- नगर निगम में लम्बित देय।
- काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नही है।
- अन्य।

नगर आयुक्त

नगर निगम, कानपुर

तारीख........................

उपरोक्त की प्रति श्री ....(सम्पत्ति का स्वामी), पता– ....की सूचना करते हुए तथा कथित करते हुये तथा कथित करते हुये कि आप दायी होगे यदि अभिकरणजिसके साथ अपने संविदा करार की है(प्रति संलग्न) उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत नगर की ओर किन्ही देयों के भुगतान में चूक की है और नगर निगम को कानपुर नगर निगम अधिनियम 1994,(1994 का 16), की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्की या विक्रय के रूप में राशि की वसूली करने का अधिकार होगा। आगे उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत प्रस्ताव में आप दायी ठहराये जायेगें।

नगर आयुक्त

नगर निगम, कानपुर

तारीख........................

टिप्पणी:– आवेदन की अस्वीकृति के मामलें में आप उपरोक्त वर्णित शर्तो की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते है।

टिप्पणी– यह केवल *प्रतीकात्मक प्रारूप*है तथा यह समय–समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप–3

(देखिये उपविधि 4)

मानक संविदा करार

यह करार आयुक्त, नगर निगम, ... जिसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी तथा इसमें उसके प्रथम प्रकार के उक्त अधिकारी तथा समनुदेषिती शामिल है) के द्वारा नगर निगम, ...(*अनुज्ञप्ति शुल्क*) जिसका कार्यालय ....में है, के बीच दिनांक .... को .... (शहर का नाम) में किया गया है।

तथा

इसमें इसके बाद द्वितीय पक्षकार के रूप में निदिष्टि बाहरी मीडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम ....से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय .... में रखने वाली फर्म मेसर्स ....के श्री/श्रीमती, ...(स्वामी/भागीदारें निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति सन्दर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल नही होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिती भी शामिल है।

चूँकि द्वितीय पक्षकार ने ....में स्थित, श्री/श्रीमती...द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि/भवन पर बाहरी मीडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिये आवेदन किया है जिसके लिए द्वितीय पक्षकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48) तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप–विधि, 2020 के उपबन्धों के अधीन *ओ०एम०डी०* के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आवेदन आई०डी०–द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी– के परिसर में दिनांक – से – तक अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पत्ति के स्वामी के साथ द्विपक्षीय करार किया गया है।

इसलिए अब यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा बीच किया गया है:–

1. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित *उ०प्र०* नगर निगम अधिनियम, *1959* तथा *कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020* के उपबन्धों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचन*बद्ध* है।

2. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा *15 दिन* के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धों तथा शर्तो की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।

3. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि *ओ०एम०डी०* के सनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से या सम्बन्धित भवन *या* अड़ोस–पड़ोस *के* भवन तथा/या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा या में कोई बाधा *उत्पन्न* नही करेगा।

4. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरूद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये *उत्तरदायी* होगें।

5. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक *अनुज्ञप्ति शुल्क*अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक *अनुज्ञप्ति शुल्क*की समाप्ति से पूर्व जमा हो गई है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद् किये जाने के लिए *उत्तरदायी* है। *अनुज्ञप्ति शुल्क (प्रीमियमय सहित)* के जमा न करने के मामलें में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लम्बित देय, यदि कोई हो, समायोजित किये जाएगें।

6. *कि निजी भवन एवं भूमियों पर विज्ञापन की दशा में इस उपविधि की धारा–6(क) के अधीन भवन स्वामी को इस आशय की सूचना प्रेषित की जाये कि उ०प्र०नगर निगम अधिनियम–1959 के प्रावधानों के अनुरुप विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान न होने की स्थिति में बकाये की वसूली भवन स्वामी से भू–राजस्व की भाँति की जायेगी।*

स्थान एवं दिनांक

नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर अधिकृत प्राधिकारी

नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर अधिकृत प्राधिकारी (प्रथम पक्ष)(द्वितीय पक्ष)

01. टिप्पणी– यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण / संशोधन के अधीन है।

प्रारूप–3(क)

निजी भवन/भूमि पर विज्ञापन हेतु तृतीय पक्ष अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

(शपथपत्र/वचन–पत्र)

यह करार बाहरी मीडिया के अभिकरण के रूप में नगर निगम कानपुर में पंजीकृत संख्या .... जिनका पंजीकृत कार्यालय .... है में रखने वाली फर्म मेसर्स .... के श्री/श्रीमान ....(स्वामी/भागीदार/निदेशक) तथा उनके समनुदेशित शामिल है। (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री/श्रीमती .... स्वामी/अध्यासी .... भवन संख्या/गृहकर आई०डी० ....द्वितीय पक्ष के मध्यं उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 एवं कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 एवं भारत सरकार व उ०प्र० सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम, उपविधि एवं अधिनियम के अधीन समय–समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत होने वाले निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

1. यहकि प्रथम पक्ष उक्त भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है (स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)

2 यहकि प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त भवन/भूमियों पर द्वितीय पक्ष को बाहरी मीडिया प्रदर्शन हेतु ढांचा बनाने एवं उस पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु पृथक करार किया है।

3 यहकि प्रथम पक्ष द्वारा कानपुर नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 को पूरी तरह अध्ययन कर लिया है एवं प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इस उपविधि में निर्धारित नियमों एवं उपनियमों का पूर्णतयः पालन करेंगें।

4 यहकि द्वितीय पक्ष के द्वारा उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 एवं कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 एवं भारत सरकार व उ०प्र० सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम, उपविधि एवं अधिनियम के अधीन समय–समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत होने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5 यहकि प्रस्तावित ढ़ांचे एवं विज्ञापन से किसी क्षति या दुर्घटना की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति से नगर निगम कानपुर का कोई भी सरोकार नही होगा।

6 यहकि उक्त उपविधि में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य देयों का समय से भुगतान करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान न होने पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार विज्ञापन पट को हटाने एवं नियमानुसार बकाये की वसूली का अधिकार नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी /कर्मचारी को रहेगा। जिस पर प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नही होगीं।

नाम व हस्ताक्षर	नाम व हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)	(द्वितीय पक्ष)

01. टिप्पणी– यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

अनुसूची–3

नगर निगम सीमान्तर्गत शहर के पर्यावरण में सुधार /प्रदूषण में कमी/हरियाली बढ़ाने /भू–दृश्य के सौन्दर्यकरण हेतु लगाये जाने वाले ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट इत्यादि पर विज्ञापन की आवंटन की रीति :–

1. नगर आयुक्त द्वारा ऐसी संस्थाओं का पैनल बनाया जायेगा, जो कि वृक्षारोपण/पर्यावरण सुधार का कार्य में विशेष दक्षता व अनुभव रखती है अथवा जो इस कार्य को करने में सक्षम है। उक्त पैनल बनाने के लिए निविदा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
2. नगर आयुक्त द्वारा ऐसी संस्थाओं को जो नगर निगम के पैनल में सूचीबद्ध हो को शहर की किसी सड़क के डिवाइडर पर या किसी ऐसी जगह (जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है,) पर ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
3. नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित नियम व शर्तो के आधार पर ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की अनुज्ञा दी जायेगी।

क. वृक्षारोपण कार्य पर होने वाला व्यय, पौधों की सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड व तार बाड़ पर व्यय तथा वृक्षारोपण के पश्चात् पौधों के परिपक्व होने तक समस्त व्यय दाता संगठनों के सहयोग से व जनसहभागिता के माध्यम से जुटाया जायेगा।

ख. वृक्षारोपण कार्य व उसके अनुरक्षण पर होने वाले व्यय के लिए प्रदेश सरकार को कोई धनराशि व्यय नही करनी होगी और न ही सरकार से इसके लिये कोई धनराशि की मांग की जायेगी।

ग. सड़कों के किनारे पौधे लगाते समय, वृक्षारोपण सहित के अनुसार न्यूनतम पन्द्रह फीट की दूरी पर पौधे लगायें जायेगे।

घ. जिन स्थानों पर बिजली व टेलीफोन के तार जा रहे है वहाँ पर ऊचाई वाले पौधे जैसे कडेंल, हरसिंगार, गुलाचीन, क्लेन्ड्रा, चाँदनी, कनेर, कचनार आदि पौधों का का रोपण किया जायेगा।

ड़. जिन स्थानों पर खुला स्थान उपलब्ध होगा वहाँ बड़े आकार वाले पौधे जैसे नीम, पीपल पाकड़, गुलर, जामुन, आम, कटहल, कदम्ब, अशोक, खिन्नी, जंगल जलेबी आदि का रोपण किया जायेगा।

च. वृक्षारोपण कार्य में सहयोग करने व्यक्तियों का दाता संगठनों का नाम (आकार 24"X18") ट्री गार्ड पर लिखा जायेगा जिस पर पर्यावरण संरक्षण व समाज कल्याण के संदेश भी होंगे। इस प्रकार की नाम पट्टिकाओं पर यदि किसी प्रकार शुल्क, स्थानीय निकायों को देय होगा तो वह भी दाता संगठनों से जुटाकर दिया जायेगा।

छ. रोपित किये गये पौधों को कम से कम दस से पन्द्रह वर्ष तक नियमित रुप से देखभाल सिंचाई व खाद आदि की व्यवस्था आपकी संस्था को करनी होगी।

4. नगर आयुक्त को किसी भी समय बिना कारण बताए संस्था का कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष ने कहा कि आज सदन का सत्र सिर्फ विज्ञापन की नियमावली पर चर्चा हेतु आहूत किया गया है, जिस सदस्य को विज्ञापन नियमावली के संदर्भ में बोलना हो तथा सुझाव देना हो, तो वह एक–एक करके अपनी बात सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृत माना जायेगा।

..............................सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–121

मा0 सदन की बैठक दिनांक 22.06.2021 में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या– 112 एवं प्रस्ताव संख्या–113 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मा0 सदन की बैठक दिनांक 22.06.2021 में वित्तीय वर्ष 2020–21 में नगर निगम में स्थापित टावरों व पोलों पर ई0ई0एस0एल द्वारा नई एल0ई0डी0 फ्लड लाईटैं व स्ट्रीट लाईन न लग पाने के कारण खाली पालों पर नगर निगम द्वारा एल0ई0डी0 फ्लड लाईटें व स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी टेबुल प्रस्ताव सख्या– 112 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136 के अन्तर्गत ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की

गयी थी। उक्त प्रस्ताव रू0 1,09,57,249.016 (रू0 एक करोड़ नौ लाख सत्तावन हजार दो सौ उनचास पैसे सोलह) का है, जिसमें शासन की स्वीकृति आवश्यक है एवं वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाये जाने के कारण खाली पोलों पर नगर निगम द्वारा सभी जोनों में स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल प्रस्ताव संख्या –113 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्ताव रू0 99,48,040.00 (रू0 निन्नयानबे लाख अड़तालीस हजार चालीस मात्र) का है।

चूंकि उक्त दोनों प्रस्ताव रू0 30 लाख से अधिक के है, जो मा0 सदन की स्वीकृति सीमा से अधिक है। रू0 तीस लाख से अधिक के प्रस्ताव होने के कारण प्रस्तावों पर शासन से अनुमति आवश्यक है। शासन से अनुमति प्राप्त होने में विलम्ब होगा, जिससें वार्डो में 10–10 स्ट्रीट लाईट एवं आगामी दीपावली, छठ इत्यादि पर्वो में लाईट नहीं लग पायेंगी ।

उक्त प्रस्तावों को अलग–अलग जोनों के आधार पर तैयार कर लिया गया है, जिसे मा0 सदन एवं मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु अग्रसारित की जायेगी।

अतएव मा0 सदन की बैठक दिनांक 22.06.2021 में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या –112 एवं 113 को मा0 सदन की बैठक दिनांक 15.09. 2021 में निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ अग्रसारित है।

..................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 122</u>

स्वरूप नगर में नगर निगम स्वामित्व की रिक्त भूमि पर पी0पी0पी0 मोड पर आधारित "महिला मार्केट–कामर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने के संबंध में

माननीय सदन के सादर संज्ञान में लाना है कि "स्वरूप नगर" जो कानपुर शहर के पॉष इलाके में स्थित है जहां विभिन्न छोटे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण नित्य शहर एवं शहर के बाहर से लोग भारी संख्या में परिवार के साथ क्रयदारी करने के उद्देष्य से आते है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वूर्ण एरिया होने के फलस्वरूप "स्वरूप नगर" मे नगर निगम स्वामित्व में 3567.51 वर्ग मी0 रिक्त भूमि उपलब्ध है, जिस पर पी0पी0 मोड पर आधारित महिला मार्केट–कामर्षियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने की प्रस्तावना है।

अतः जनहित एवं नगर निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए "स्वरूप नगर" मे नगर निगम स्वामित्व की 3567.51 वर्ग मी0 रिक्त भूमि पर पी0पी0 मोड पर आधारित महिला मार्केट–कामर्षिलय कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

........................**सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त को संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 123

सिविल लाइन्स (Plot No. 9-A, 10, 11 (Part) Block No.-9) के रिक्त भूखण्ड पर कानपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कन्वेंषन सेण्टर–कामर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने के संबंध में

माननीय सदन के सादर संज्ञान में लाना है कि सिविल लाइन्स (Plot No. 9-A, 10, 11 (Part) Block No.-9) का भूखण्ड जो नगर निगम स्वामित्व में है, पर कानपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कन्वेंषन सेण्टर–कामर्षियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने की प्रस्तावना है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि सिविल लाइन्स क्षेत्र कानपुर शहर का अति व्यस्त एवं व्यवसायिक केन्द्र बिन्दु है जहां अनेक छोटे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत है जहां नित्य शहर एवं शहर के बाहर से हजारों की संख्या में व्यापारियों सहित आमजन भारी मात्रा में व्यवसायिक एवं क्रयदारी के उद्देष्य से आते हैं। उक्त चयनित एवं प्रस्तावित स्थल पर कानपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कन्वेंषन सेण्टर–कामर्षियल कॉम्पलेक्स के निर्माण से आम शहरियों को प्रख्यात व्यवसायिक स्थल मिलने के साथ ही नगर निगम को आषानुरूप वित्तीय आय का स्त्रोत भी विकसित होगा।

अतः वर्तमान की व्यवसायिक परिदृष्य के दृष्टिगत जनहित एवं नगर निगम हित में "सिविल लाइन्स (Plot No. 9-A, 10, 11 (Part) Block No.-9) के रिक्त भूखण्ड पर कानपुर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कन्वेंषन सेण्टर–कामर्षियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

........................**सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त को संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या– 124

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 01 मकान को गृह कर, जल कर से मुक्त किये जाने सम्बन्धी मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव

अवगत कराना है कि भारत अंग्रेजो की दासता से मुक्ति दिलाये जाने हेतु अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुये आजादी की जंग में सम्मिलित हुये और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 01 मकान को नगर निगम, कानपुर यदि गृह कर एवं जल कर से मुक्त करता है, यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धान्जलि होगी।

अतएव दिनांक 15.09.2021 को आहूत मा0 सदन की बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 01 मकान को गृह कर, जल कर से मुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... **तद्नुसार सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–125

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/ 306 /अ0अ0–4 दिनांक 19.08.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 117(6–ख) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 37 अशोक नगर के अन्तर्गत सचान डेयरी के सामने क्षतिग्रस्त डॉट नाला की स्लैब व सडक मरम्मत कार्य का आगणन धनांक रू0 21,38,904.00 (12 प्रतिशत जी0एस0टी धनराशि सहित) का बनाया गया है। उक्त स्थल पर डॉट नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क बैठ गयी है। जनसुरक्षा के दृष्टिगत कार्य अविलम्ब कराया जाना आवश्यक था जिस कारण निविदा आदि प्रकिया हेतु पर्याप्त अवधि न होने के कारण कार्य 117(6) बी के अन्तर्गत कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 19.08.2021 को प्रदान की गयी है। कार्य को मेसर्स नीरज त्रिवेदी द्वारा आगणन दर पर करने हेतु सहमति पत्र दिया है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)ख (संलग्न पताका "क") के अनुसार किसी आपातकाल में जनता की सेवा या सुरक्षा हेतु या किसी सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही करेगा जो आपात को देखते हुए अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर आयुक्त कार्यकारिणी समिति और निगम को तत्काल उस कार्यवाही की सूचना देगा जो उसने की है।

अतः अंश "क" के अनुपालन में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)ख के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित है।

.... **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–126

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/307/अ0अ0–4 दिनांक 19.08.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 117(6–ख) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 37 अशोक नगर के अन्तर्गत सचान डेयरी के सामने क्षतिग्रस्त डॉट नाला की फाउण्डेशन व दीवार की मरम्मत कार्य का आगणन धनांक रू0 29,09,221.00 (12 प्रतिशत जी0एस0टी धनराशि सहित) का बनाया गया है। उक्त स्थल पर डॉट नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क बैठ गयी है। जनसुरक्षा के दृष्टिगत कार्य अविलम्ब कराया जाना आवश्यक था जिस कारण निविदा आदि प्रक्रिया हेतु पर्याप्त अवधि न होने के कारण कार्य 117(6) बी के अन्तर्गत कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 17.08.2021 को प्रदान की गयी है। कार्य को मेसर्स नीरज त्रिवेदी द्वारा आगणन दर पर करने हेतु सहमति पत्र दिया है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)ख (संलग्न पताका "क") के अनुसार किसी आपातकाल में जनता की सेवा या सुरक्षा हेतु या किसी सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही करेगा जो आपात को देखते हुए अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के

अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर आयुक्त कार्यकारिणी समिति और निगम को तत्काल उस कार्यवाही की सूचना देगा जो उसने की है।

अतः अंश "क" के अनुपालन में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)ख के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित है।

.... **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अध्यक्ष ने आज दिनांक 15.09.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत प्रदान करने के लिये कहा।

..................**सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 15.09.2021 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

अंत में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0...............

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर